न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–78 / 2023
GCMS NO:- 2023/114

दायर दिनांकः 29.3.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

बृजराज आ0 श्योनारायण जाति बारेठ नि0 गंभीरा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 12.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भैरूपुरा प0म0 गंभीरा मे खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.3398 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर प्रार्थी फसल बोता है तथा काटता आ रहा है जिस पर आस पडोस के व्यक्ति भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती सीमाओं को लेकर भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाये जिसके लिए प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, शपथ पत्र की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी। बहस एकपक्षीय सूनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर प्रार्थी फसल बोता है तथा काटता आ रहा है जिस पर आस पडोस के व्यक्ति भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती सीमाओं को लेकर भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिससे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवायी जावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस, तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक / 15 / LR / 24 दिनांक 02.01.2024 तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1977 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होना अवगत कराया है अतः प्रार्थना पत्र मे अंकित खसरा नम्बर 1977 पर प्रार्थी का कब्जा नही होने से पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ